

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7- परियोजना /स्कीम का स्थान ।

- (प) राज्य/संघ शासित क्षेत्र । - उत्तराखण्ड ।
 (पप) जिला । - देहरादून ।
 (पपप) वन प्रभाग । - चकराता
 (पअ) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र(हैक्टेअर में) । -
 (अ) वन की कानूनी स्थिति । $0.8478/4.500$ -सिविल एवं सोयम /आरक्षित वन भूमि ।
 $= 5.3478 \times 10.62 = 10.6558$
 (अप) हरियाली का घनत्व । 0.0102 तक -
 (अपप) प्रजाति -वार (वैज्ञानिक नाम)और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (सलग्न की जाय) सिचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ आर एल, एफ आर एल -2मीटर पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी सलग्न किये जाय । - संलग्न है ।
 (अपपप) भूरक्षण के लिये वन क्षेत्रों की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी । -
 (पग) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी । - वन भूमि में ।
 (ग) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाय) - नहीं
 (गप) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न /विषिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें । - नहीं
 (गपप) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/प्रारम्भिक स्थल /रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ , तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें । - नहीं

8- प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा भाग 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है - संलग्न है ।।

9- क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं । - नहीं ।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा ।

- (प) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र , आस पास के वन से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार । - संलग्न है ।

(पप) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।

(पपप) रोपित जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।

(पअ) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय ।

(अ) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणित से प्रमाणपत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) ।-

(4)

- संलग्न है।

- 13,90,400 = 10

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षक रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपएगपप), और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें) ।

12- विभाग / जिला प्रोफाइल ।

(प) जिले का भौगोलिक क्षेत्र ।

(पप) जिले का वन क्षेत्र ।

(पपप) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।

(पअ) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण ।

(क)- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ।

(ख)- वनेतर भूमि परन ।

(अ) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क)- वन भूमि पर

(ख)- वनेतर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।

इस प्रतीति में स्थानीय ग्रामीणों के आलापित परिसर एवं उनकी कुल उपर्युक्त स्थानीय मजदूरी तथा आवश्यक क्षेत्र उपर्युक्त प्रतीति में संलग्न की जाती है, 6.125 किमी लम्बाई के क्षेत्रों तरफ जहाँ तक सम्भव हो सके वृक्षारोपण किया जायेगा।

6.125 किमी @ 2,00,000 = 12,25,000 = 10

हस्ताक्षर

नाम (डॉ. दिवाकर सिंह)

सरकारी मोहर प्रमाणित वनाधिकारी

चक्राता वन प्रभाग

चक्राता (देहरादून)

तिथि:- 10.9.2014

स्थान:- चक्राता

उप-प्रमाणित वनाधिकारी

चक्राता वन प्रभाग

कमलसी